कार्यालय नगर परिषद, मधुबनी

पत्रांक :– 1431

प्रेषकः–

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधुबनी

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

मधुबनी, दिनांक 12/12/18

विषयः– अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 539/07–08 का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 539/07–08 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधुबनी
12.12.18

कार्यालय नगर परिषद मधुबनी

अंकेक्षण प्रतिवेदन 539/2007–08 (वित्तीय वर्ष 2004 –05 एवं 2006–07) का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं0	कंण्डिका सं0	संक्षिप्त अंकेक्षण आपत्ति	अनुपालन
1	2	3	4
1	1 to 7	सूचनात्मक विवरण	जबाब से संबंधित नहीं है।
2	8	नगर परिषद को देनदारियाँ। सुझाव है कि ऋणात्मक शेष को कम किया जाय।	सुझाव के अनुसार कार्रवाई की गई है।
3	9	रोकडबहियों का अन्तशेष नेहरु योजना से संबंधित अभिलेख नहीं उपलब्ध होने के कारण आय–व्यय के आंकड़ों की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।	योजना से संबंधित सारे अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
4	10	रोकड़बही की त्रुटियाँ	
	(i)	प्रारंभिक शेष अंकित नहीं किया गया।	प्रारंभिक शेष अंकित कर दिया गया है।
	(ii)	मासिक योग एवं इसके आधार पर वार्षिक आय, व्यय का योग एवं वर्ष के अन्त में अन्त शेष को कार्यरुप नहीं दिया गया।	यह पुराना मामला है। सुझाव के अनुसार रोकड़बही की अनियमितताएँ सुधार कर रोकड़बही अद्यतन कर दी गई है। इसे ~~अगले~~ अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
	(iii) to (xv)	रोकड़बही के संबंध में अन्य अनियमितताएँ।	
5	11	कोषागार पासबुक अनुपलब्ध।	बार–बार पत्र देने के बाद भी पासबुक उपलब्ध नहीं कराया गया है। साक्ष्य संलग्न।

1	2	3	4
6	12	सरकारी अनुदान	
	(i) to (iv)	इसमें वित्तीय अनियमितता नहीं दिखाया गया है। सिर्फ पंजी के संदर्भ में सुझाव दिया गया है।	यह पुराना मामला है एवं सुझाव के अनुसार अनुदान पंजी अद्यतन है।
	(v)	हाइड्रोलिक ट्रैक्टर एवं सफाई उपकरण के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग नहीं किया गया।	अनुदान का उपयोग कर ट्रैक्टर खरीद किया गया है। साक्ष्य स्वरुप पंजी में दर्ज की छायाप्रति संलग्न है।
7	13	सरकारी ऋण– ऋण का समायोजन एवं व्यय का विनियोग नहीं किया गया है।	सभी ऋण का सामंजन एवं व्यय का विनियोग कर दिया गया है। इसे अगल अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
8	14	लेखा परीक्षा के दौरान जमा।	चूँकि राशि जमा कर दिया गया एवं अंकेक्षक ने भी इसे सही ठहराया है। अतः इस कण्डिका को निष्पादित किया जाय।
9	15	कम जमा/नहीं जमा (5,896 रुपये)	राशि जमा कर दी गई है। साक्ष्य संलग्न।
10	16	बैंक खाताओं का विवरण एवं अन्तशेष बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया जाना।	इस नगर परिषद में बैंक समाधान विवरणी वर्षों से लम्बित है। इस बिन्दु पर कार्रवाई की जा रही है।
11	17	करों का पुर्ननिंधारण। कर निर्धारण में अनियमितता।	करों का पुर्ननिंधारण तय मानक के आधार पर किया गया है।
12	18 (i)	बन्दोबस्ती– राशि की वसूली नहीं होने से परिषद को हानि।	असमाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान उपस्थित होने के कारण पूरी राशि की वसूली नहीं हो सकी। अतः इसमें हानि का प्रश्न नहीं है।
	(ii)	साईकिल, रिक्शा, टांगा बन्दोबस्ती। पूरी राशि की वसूली नहीं हो सकी एवं जमा का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया।	यह बहुत पुराना मामला है। उक्त अवधि (2006–07) का न अभिलेख उपलब्ध है और न संबंधित कर्मचारी ही सेवा में हैं। मामले की जाँच की जा रही है।
	(iii)	वाहन प्रवेश शुल्क का वेतन मद में सीधा विनियोग किया गया।	अंकेक्षण के बाद से राशि का सीधा विनियोग नहीं किया गया है।

1	2	3	4
13	19	प्रत्यक्ष (सीधा) विनियोग।	तथैव।
14	20	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सरकारी खाता में नहीं जमा करना।	नगर परिषद की वित्तीय स्थिति सुधरने के बाद इसे जमा कर दिया जायेगा।
15	21 (i)	बकाया मुख्य (भवन) कर।	बकाये कर की वसूली की गई है। अद्यतन प्रतिवेदन संलग्न है।
	(ii)	सरकारी भवनों पर बकाया कर।	सरकारी भवनों पर बकाया कर की वसूली के लिए सरकार को पत्र दिया गया है। साक्ष्य संलग्न।
16	22	खाद्य अपमिश्रण (माँग व वसूली)	चूँकि खाद्य अपमिश्रण की वसूली नगर परिषद से वापस ले लिया गया है। अतः इसे निष्पादित किया जाय।
17	23	खतरनाक व्यवसाय (माँग व वसूली)	खतरनाक व्यवसाय की वसूली का अद्यतन सूची संलग्न है।
18	24	बकाया दुकान किराया।	यह पुराना मामला है। दुकान किराया का अद्यतन सूची संलग्न है।
19	25	नये भवनों का कर निर्धारण। सुझाव दिया गया है कि भवन निर्माण अनुज्ञप्ति पंजी कां संधारित किया जाय।	नये भवन का निर्माण अनुज्ञप्ति पंजी विहित रुप से संधारित है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
20	26	बजट को समय पर नहीं तैयार किया गया।	अंकेक्षण के बाद से बजट का समय पर निर्धारण किया जा रहा है। अद्यतन छायाप्रति संलग्न।
21	27	प्रस्तावित बजट एवं वास्तविकता में अन्तर। (7.28 प्रतिशत से 11.72 प्रतिशत)	यह मामूली अन्तर है जो स्वाभाविक है। सुझाव के अनुसार अन्तर कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
22	28	नियुक्ति संचिका अनुपलब्ध।	नियुक्ति संचिका कार्यालय में सुरक्षित है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।

1	2	3	4
23	29	दैनिक पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान।	अंकेक्षण के सुझाव एवं सरकारी आदेशानुसार दैनिक मजदूर की सेवा समाप्त कर दी गई है।
24	30	विज्ञापनों पर व्यय। संबंधित अभिलेख नहीं प्रस्तुत करना।	सभी संबंधित अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
25	31	वाद पंजी अनुपलब्ध।	अंकेक्षण के सुझाव के अनुसार वाद पंजी तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।
26	32	अनियमित भुगतान।	इसमें अधिभार (सर चार्ज) का प्रस्ताव दिया गया है। अतः इसका जबाव अधिभार नोटिस निर्गत होने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा।
27	33	मुद्रण पर व्यय भंडार पंजी में प्रविष्टि, उपयोगिता एवं अन्तशेष नहीं दिखलाया गया।	सभी सामानों की प्रविष्टि एवं उपयोगिता भंडारपंजी में अंकित है। साक्ष्य संलग्न।
28	34	योजना पंजी – योजना पंजी का संधारण नहीं दिखलाया गया है।	योजना पंजी में सभी योजनाओं की अद्यतन स्थिति दिखलाया गया है, इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
29	35	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का प्रावधान स्पष्ट नहीं किया गया है।	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की संबंधित संचिका सारे प्रावधान एवं उपयोगिता स्पष्ट है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
30	36	अनियमित भुगतान (एकादश वित्त आयोग) 48 भेपर लाईट लगाये गये जिसमें 30 भेपर लाईट कार्य नहीं कर रहा था।	30 खराब भेपर लाईट की मरम्मत कर दी गई एवं सभी भेपर लाईट कार्य कर रहा है।
31	37	अनियमित भुगतान श्री जटाशंकर झा, कनीय अभियंता को पूर्व की अग्रिम राशि 50,000 (भेपर लाईट खरीद हेतु) के सामंजन के उपरान्त 25,600 रुपये का भुगतान	संबंधित संचिका में सारे तथ्य अंकित हैं। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।

		किया गया, किन्तु भेपर लाईट खरीद से संबंधित आपूर्ति रसीद एवं भंडारपंजी में प्रविष्टि नहीं दिखलाया गया।	
32	38 (i)	चापाकल (अधिक भुगतान) एकादश वित्त आयोग। चापाकल लगाए गए स्थल की सूची एवं भूमि की स्थिति का विवरण नहीं दिखलाया गया।	संबंधित संचिका में सारे तथ्य उपलब्ध है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
	(ii)	स्वीकृति राशि 4,11,600 रुपये के विरुद्ध 4,35,420 रुपये का भुगतान किया गया। अधिक भुगतान 23,820 रुपये।	कार्य की आवश्यकता को देखते हुए अधिक राशि का भुगतान किया गया जिसकी सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ली गई।
33	39	12वीं वित्त आयोग – निष्फल व्यय 32,672 रुपये कम्प्यूटर खरीद से संबंधित अभिलख नहीं दिखलाया गया एवं कम्प्यूटर का उपयोग नहीं किया गया।	संबंधित संचिका में सारे तथ्य उपलब्ध हैं। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा साथ ही टेक्निशियन प्राप्त होने के बाद कम्प्यूटर का उपयोग किया जा रहा है।
34	40 (i)	जेनरेटर खरीद– खरीद से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया।	संबंधित संचिका में सारे तथ्य उपलब्ध हैं। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
	(ii)	जेनरेटर का उपयोग नहीं किया गया।	जेनरेटर का उपयोग किया जा रहा है।
35	41 (i)	ट्रैक्टर का दुरुपयोग – संबंधित कागजात नहीं दिखलाया गया।	संबंधित संचिका में सारे तथ्य उपलब्ध हैं। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
	(ii)	ट्रैक्टर का उपयोग सॉकिंग मशीन के लिए किया जाना था।	सॉकिंग मशीन खराब होने पर इसका उपयोग कुड़ा ढोने में किया गया।

1	2	3	4
36	**42**	निधि का दुरुपयोग।	इसमें अधिभार प्रस्ताव दिया गया है। इसका जबाव अधिभार नोटिश निर्गत होने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा।
37	**43**	निष्फल व्यय (7,54,500=00) सफाई कार्य के लिए भुगतान किया गया, किन्तु सभी कागजात नहीं दिखलाया गया।	संबंधित संचिका में सारे कागजात उपलब्ध है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
38	**44** **(i)**	चापाकल योजना– योजना पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया।	चापाकल की पंजी उपलब्ध है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
	(ii)	चापाकल की गड़ाई अनुमोदित प्राक्कलन से अधिक किया गया।	स्थल की आवश्यकता को देखते हुए अधिक गड़ाई की गई।
39	**45**	सांसद निधि– कार्य को अन्तिम रुप नहीं दिया गया।	सभी कार्य का अंतिम (फाइनल) रुप दिया गया है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
40	**46**	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना से भवन निर्माण हेतु नगद भुगतान। योजना से संबंधित सभी कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये।	चूँकि गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले का बैंक लेखा उपलब्ध नहीं था, अतः नगद भुगतान किया गया। संबंधित कागजात संबंधित संचिका में उपलब्ध है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
41	**47 A** **(i) to (vii)**	राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास योजना संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराये गए।	संबंधित संचिका में सारे कागजात पलब्ध है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
	(B)	योजना सं0 08/05–06 10,661=00 रुपये का अधिक भुगतान।	यह पुराना मामला है। उस समय के अभिकर्त्ता उपलब्ध नहीं हैं एवं राशि छोटा है। अतः इसे निष्पादित किया जाय।

(हस्ताक्षर) 12/12

1	2	3	4
	(C)	योजना सं0 03/03–04 2,14,207=00 रुपये का अधिक भुगतान।	यह बहुत पुराना मामला है। संबंधित संचिका की खोज की जा रही है। संचिका मिलने पर जाँच की जायेगी।
42	48	योजना सं0 07/03–04 अधिक भुगतान – 1,63,922=00 रुपये	तथैव।
43	49	चापाकल योजना (पी.एल. खाता) अधिक भुगता – 4,532=00 रुपये	यह बहुत पुराना मामला (2004–05) है। संबंधित संचिका की खोज की जा रही है। जाँचोपरान्त इस पर प्रतिवेदन अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
44	50	अभिलेख अनुपलब्ध (2004–05)	तथैव।
45	51	विचलन	वेतन स्थापना पर प्रथम चार्ज है। कर्मचारी की दयनीय स्थिति को देखते हुए अनुदान का विचलन वेतन मद में किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ति वेतन मद में अनुदान प्राप्त होने पर कर दी जायेगी।
46	52	अग्रिम	पुराने अग्रिम का समायोजन किया गया था। कुछ पर एफ.आई.आर. किया गया है। अद्यतन सूची साक्ष्य रुप में संलग्न है।
47	53	रसीद बही अनुपलब्ध	सभी रसीद बही कार्यालय में सुरक्षित है। इसे अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।
48	54	कार्यपालक से वार्तालाप	यह जवाब से संबंधित नहीं है।
49	55	लेखा परीक्षा के परिणाम।	संबंधित कण्डिका में अनुपालन दिया गया है।
50	56	सामान्य अभ्युक्ति	इसमें सिर्फ सुझाव दिया गया है। सुझाव के अनुसार कार्रवाई की गई है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधुबनी
12.12.18